अनुदान संख्या 28 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

GRANT No. 28 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	1618,33,00		1618,34,00	1499,76,28	-118,57,72
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					112,00,38
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-			241,00,00	140,76,85	-100,23,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	599.00	777.00	766.06	-10.94
पु.	R.	178.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services				
मू.	O.	2650.00			
			2472.00	2472.01	+0.01
पु.	R.	- 178.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	16837.00			
पू.	S.	1.00	11795.17	11441.45	-353.72
पु.	R.	-5042.83			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head"3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	140813.00			
			134590.85	134294.45	-296.40
पु.	R.	-6222.15			

(I) ₹7451.11 लाख का प्रावधान (नवम्बर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.11 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - महानगरों में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना" - ₹200.00 लाख व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पूर्वोत्तर परिषद् की स्कीमें - पूर्वोत्तर सड़क परियोजना"- ₹6800.00 लाख योजना आयोग से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of ₹7451.11 lakhs (including token supplementary grant of ₹ 0.11 lakh obtained in November, 2010) remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹7000.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(A) Major Head "2552"- "Other Expenditure - Setting up of Hostels for NE Students in Metros" - ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(B) Major Head "3601"-"Grants for Special Plan Schemes-Schemes of North Eastern Council-North Eastern Road Project"-₹6800.00 lakhs-due to non-receipt of approval of scheme from the Planning Commission.

(II) मुख्य शीर्ष "2250" - "अन्य व्यय - तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण" के अंतर्गत ₹178.00 लाख की बचत (₹1950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) Under Major Head "2250"-"Other Expenditure - Technical Assistance and Capacity Building"- saving of ₹178.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs);

(III) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2552"- savings occurred under the following heads:-

(का) "चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य - शंकर देव नेत्रालय, गुवाहाटी को सहायता" - ₹200.31 लाख की बचत (नवम्बर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹550.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Medical and Public Health-Support to Sankar Dev Netralaya, Guwahati"- saving of ₹200.31 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹550.06 lakhs including token supplementary grant of ₹0.06 lakh obtained in November, 2010); and

(खा) "अन्य व्यय" -

(B) "Other Expenditure"-

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनईआरसाओआरएम परियोजना का संवर्धन" - ₹108.08 लाख की बचत (नवम्बर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2940.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Augmentation of NERCORM Project in NE Region" - saving of ₹108.08 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2940.06 lakhs including token supplementary grant of ₹0.06 lakh obtained in November, 2010).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थीं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of viable proposals.

(ख) "अन्य विविध मदें" - ₹701.54 लाख की बचत (नवम्बर 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.17 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2905.67 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त न होन के कारण हुई।

(b) "Other Miscellaneous items"- saving of ₹701.54 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2905.67 lakhs including token supplementary grant of ₹0.17 lakh obtained in November, 2010) was due to non-receipt of viable proposals and decision of Hon'ble Supreme Court.

(ग) "विश्व बैंक की सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र जीविका परियोजना" - ₹3498.72 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जारी अध्ययन और मैनुअल पूरे न होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(c) "North Eastern Region Livelihood Project with World Bank assistance"- saving of ₹3498.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-finalisation of the scheme owing to non-completion of ongoing studies and manuals.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पूर्वोत्तर परिषद् की स्कीमें - विशेष विकास परियोजनाएं" के अंतर्गत ₹296.40 लाख की बचत (₹49013.00 लाख के

(IV) Under Major Head "3601"-"Grants for Special Plan Schemes-Schemes of North Eastern Council-Special Development Projects"- saving of ₹296.40 lakhs (against the sanctioned provision of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

₹49013.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹184.02 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under three heads savings of ₹184.02 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 15 percent to 95 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹227.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2552" - "कला और संस्कृति - कला और संस्कृति का संवर्धन - पूर्वोत्तर राज्यों में कला और संस्कृति का परिरक्षण और संवर्धन" के अंतर्गत नवम्बर, 2010 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹112.79 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹227.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2010 under Major head "2552" - "Art and Culture - Promotion of Art and Culture - Preservation and Promotion of Art and Culture in NE States". Actual excess, however, was ₹112.79 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय" - ₹167.06 लाख का अधिक व्यय (₹599.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और योजना स्कीमों की प्रगति की निगरानी करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकारियों द्वारा अधिक दौरे किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2052"-"Secretariat-Ministry of Development of North Eastern Region"-excess of ₹167.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹599.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet committed liabilities and increased visits undertaken by officers to NE States to monitor the progress of Plan Schemes.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल के लिए केन्द्रीय सहायता" - ₹577.85 लाख का अधिक व्यय (₹80000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601"-"Grants for State Plan Schemes-Block Grants-Central Assistance for the Central Resource Pool for Development of North Eastern Region"-excess of ₹577.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear viable proposals received from the State Governments.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4552”	Major Head “4552”			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas	17700.00	7676.85	-10023.15

(I) ₹10000.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹9500.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹10000.00 lakhs remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹9500.00 lakhs accounted for under the following heads :-

(का) “सड़कें और सेतु - पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों में पैदल यात्रियों के लिए तार रस्सी निर्मित झूला पुलों का निर्माण” - ₹3000.00 लाख;

(A) “Roads and Bridges - Construction of Pedestrian type wire rope suspension bridges in backward districts of North Eastern States”- ₹3000.00 lakhs;

(खा) “विद्युत - अरुणाचल प्रदेश में खुप्पी से तवांग तक 132 के.वी. एकल सर्किट पारेषण लाइन” - ₹3500.00 लाख; और

(B) “Power - 132 KV single circuit transmission line from Khuppi to Tawang in Arunachal Pradesh”- ₹3500.00 lakhs; and

(गा) “लघु एवं मध्यम नगरों का एकीकृत विकास - निर्माण- नागालैण्ड के मोन, त्यूनसांग, किफायर और लौंगलेंग जिलों का विकास” - ₹1000.00 लाख।

(C) “Integrated Development of Small and Medium Towns – Construction - Development of Mon, Tuensang, Kiphire and Longleng Districts of Nagaland”- ₹1000.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और मंत्रालय के लिए नया भुगतान एवं लेखा कार्यालय स्थापित करने में आई शुरुआती रुकावटों के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals from the NE States and initial hiccups emanating for an establishment of new PAO for the Ministry.

(घा) “पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें” -

(D) “Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes”-

(क) “ब्रू जनजातियों के पुनर्वास के लिए मिजोरम के पश्चिमी इलाके का विकास” - ₹500.00 लाख;

(a) “Development of Western Belt of Mizoram for resettlement of Bru Tribals”- ₹500.00 lakhs;

(ख) “असम के कोकड़ाझाड़ और बोंगाईगांव जिलों में शिविर में रहने वालों को राहत और उनका पुनर्वास” - ₹500.00 लाख; और

(b) “Relief and rehabilitation of camp dwellers in Kokrajhar and Bongaigaon Districts of Assam”- ₹500.00 lakhs; and

(ङ) "अन्य व्यय - कर्बी अंगलौंग और उत्तर कछार जिला परिषदों में स्कीमें" - ₹1000.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(E) "Other Expenditure - Schemes in Karbi Anglong and North Kachar District Councils"- ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals.